



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बाड़मेर में कनिष्ठ सहायक का दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 3 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, 15 जनवरी / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की बाड़मेर इकाई द्वारा आज शनिवार को कार्यवाही करते हुये कंवराराम जाट (प्राईवेट व्यक्ति) को पूनमाराम कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत दीनगढ़, पंचायत समिति धनाऊ, जिला बाड़मेर के लिये परिवादी से 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बाड़मेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मनरेगा योजना में स्वीकृत टांके के मस्टरोल में नाम व हाजिरी चढ़ाने की एवज में पूनमाराम कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत दीनगढ़, पंचायत समिति धनाऊ, जिला बाड़मेर द्वारा 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बाड़मेर के अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस श्री रामनिवास द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री मुकनदान एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल कंवराराम पुत्र श्री लालाराम जाट निवासी ग्राम पंचायत दीनगढ़, पंचायत समिति धनाऊ, जिला बाड़मेर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 3 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पूनमाराम कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत दीनगढ़, पंचायत समिति धनाऊ, जिला बाड़मेर ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।